न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2025

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री वालजी चौहान पुत्र श्री शंकरभाई जिला बनासकांठा गुजरात हाल कर्मचारी दस्तक बायोडीजल, वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भगवतसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय से प्राप्त शिकायत दिनांक 07.04.2025 की पालना में दिनांक 09.04.2025 को श्री तेजसिंह मेडतिया जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री विनोद परमार प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर जांच हेतु शिवगंज से सिरोही जाने वाले नेशनल हाईवे पर करीब तीन–चार किलोमीटर आगे बाएं तरफ दस्तक कम्पनी द्वारा स्थापित एक पम्प पर पहुंचे। मौके पर उक्त पम्प के भूमिगत टैंक में करीबन 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय से प्राप्त शिकायत दिनांक 07.04.2025 की पालना में दिनांक 09.04.2025 को श्री तेजसिंह मेडतिया जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री विनोद परमार प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर जांच हेतु शिवगंज से सिरोही जाने वाले नेशनल हाईवे पर करीब तीन–चार किलोमीटर आगे बाएं तरफ दस्तक कम्पनी द्वारा स्थापित एक पम्प पर पहुंचे। मौके पर एक पम्प स्थापित पाया गया जिस पर Dispensing Unit लगी हुई

जिला कलेक्टर, सिरोही

थी, जिसके दोनो तरफ Nosel लगे हुए है एवं एक भूमिगत टैंक जिसमें मौके पर उपस्थित श्री वालजी चौहान पुत्र शंकर भाई जिला बनासकांठा गुजरात हाल कर्मचारी दस्तक बायोडीजल ने बताया की भूमिगत टैंक करीब 20,000 लीटर का अंडर ग्राउण्ड स्थापित है तथा पाइपलाईन के द्वारा उसका कनेक्शन Dispensing Unit में दिया गया है, जिससे नोजल के द्वारा वाहनों के फ्यूल टैंको में पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाता है। मौके पर Dip Rod नहीं होने से नजदीक स्थित पेट्रोल पम्प से 20,000 लीटर टैंक क्षमता की Dip Rod मंगवाई जाकर निरीक्षण करने पर करीब 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भूमिगत टैंक में पाया गया, जिसको मौके पर Dispensing Unit के नोजल से निकाला जाकर हाईड्रो मीटर से डेसिंटी नापी गयी जो वक्त जांच 820 की डेसिंटी प्राप्त की गयी। इस प्रकार की डेसिंटी पेट्रोलियम क्लास बी में पायी जाती है। मौके पर उपस्थित श्री वालजी चौहान से उक्त पम्प के संबंध में कागजात मांगे गये जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाये गये एवं टैंक में भण्डारित पैट्रोलियम पदार्थ के खरीद के संबंध में बिल वाउचर मांगने पर किसी भी प्रकार के बिल पेश नहीं किए गये, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद एवं बेचान कार्य अवैध तरीके से बिना किसी लाईसेंस या उच्च प्राधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश से किया जा रहा है। साथ ही प्रथम दृष्टया उक्त पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोलियम क्लास बी का प्रतीत हुआ, जिसका 2500 लीटर से अधिक भण्डारण पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत बिना विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति अथवा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमिगत पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए एवं उसका अवैध खरीद एवं बैचान किये पाये जाने पर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 2 (क) च.ण,त, फ, ड एवं खण्ड 3 (4,5,6), खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन किये जाने पर भूमिगत टैंक मय अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जेराज लिया जाकर जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्ती मौके पर मौजूद कार्मिक वालजी चौहान की उपस्थिति में उसी से की गयी। मौके पर श्री वालजी चौहान ने बताया कि उक्त पम्प श्री बहादूरसिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। मौके पर फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। चूंकि टैंक भूमिगत स्थापित था, जिसको उखाडकर पुलिस को सुपुर्द किया जाना संभव नहीं था और न ही ऐसे कोई संसाधन मौके पर उपलब्ध थे, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाकर पुलिस थाने में सुपुर्दगी में दिया जा सके। इस कारण परिस्थिति जन्य आवश्यकताओ को मद्देनजर रखते हुए सुपुर्दगी वालजी चौहान को दी गयी एवं सुपुर्दगीनामे पर पाबंद किया गया। मौके पर उपरोक्त भूमिगत पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ के तीन सैम्पल 1–1 लीटर के लिये जाने हेतु एक साफ बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ नोजल से भरा जाकर स्टैण्डर्ड एल्युमिनियम के एक–एक लीटर के जार को उसी पेट्रोलियम पदार्थ से धोया जाकर उसमें एक–एक लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाकर उनको वुडन बॉक्स में रखा जाकर सील चस्पा किया गया एवं उपस्थित मौतबिरानों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मौके पर प्राप्त सैम्पल की क्रमशः A,B,C मार्किंग की गयी। प्रस्तुत किये गये कागजात दस्तक बायोडीजल के नाम से कागजात है, जिसमें मालिक का नाम बहादुरसिंह राजपूत वास, वेरारामपुरा, सिरोही दर्ज है। उपरोक्त समस्त प्रकरण में मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 2 (क) च,ण,त.फ.ड एवं खण्ड 3 (4.5.6), खण्ड 4 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियिम 1955 की धारा 3/7 एवं 3/8 के तहत दण्डनीय कृत्य है। श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 10,000 लीटर

जिला कलेक्टर, सिरोही

पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करवाने का श्रम करावें साथ ही चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त ज्वलनशील एवं वाष्पशील तरल है। अतः यथाशीघ्र अन्तरिम निस्तारण करवाने के आदेश प्रदान करवाने का श्रम करावें।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी की फर्म दस्तक पेट्रोकेम प्रा.लि. कम्पनी अधिनियम में 2015 से रजिस्टर्ड है। यह कि अप्रार्थी की फर्म भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राजपत्र 4 जून 2018 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अन्तर्गत भारतवर्ष में जैव ईंधन के 5 श्रेणियों में से बायोडीजल एवं ड्राप ईन फ्युल के क्षेत्र में वितरण का कार्य कर रही है एवं इसी सन्दर्भ में राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में फ्रेंचाईजी के माध्यम से ड्राप इन फ्युल के रिटेल आउटलेट भी दे रही है। यह कि दस्तक पेट्रोकेम प्रा.लि. ने इसी सन्दर्भ में एक फ्रेंचाईजी सिरोही जिले के शिवगंज से सिरोही जाने वाले एन.एच. पर श्री बहादुर सिंह पुत्र शंकर भाई निवासी वेरारामपुरा को दी है, जिसके माध्यम से ड्राप इन फ्युल बेचा जा रहा है। जिसकी जानकारी फर्म के दस्तावेज सहित दिनांक 08.10.2024 को रसद विभाग में जमा करवाये जा चुके है। यह कि श्रीमान जिला रसद विभाग सिरोही के प्रर्वतन अधिकारी ई.सी. एक्ट में कार्यवाही करते हुए जिस पत्र का उल्लेख किया गया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से एवं प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग से पत्र संख्या एफ 77 (69) खा.वि./सत/जोधपुर/2025 दिनांक 08.04.2025 प्राप्त हुआ है, उसमें जिला रसद अधिकारी को मेरी फर्म दस्तक पैट्रोकेम प्रा.लि. के ड्राप इन फ्यूल के उत्पादन, वितरण एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिवस में प्रमुख शासन सचिव को भिजवाने का उल्लेख किया गया था। परन्तु रसद विभाग ने मेरी फर्म को बिना एडवांस नोटिस दिये मेरी फ्रेंचाईजी के रिटेल आउटलेट पर जाकर ई. सी. एक्ट में कार्यवाही कर दी, जो कि न्यायसंगत नहीं है एवं प्रमुख शासन सचिव खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र की मंशा भी रिटेल आउटलेट पर कार्यवाही करने की नहीं रही है। यह कि ऐसा ही एक प्रकरण बीकानेर रसद विभाग द्वारा जब मेरी फर्म को एडवांस नोटीस दिये बिना कार्यवाही करने का आया, तब माननीय उच्च न्यायालय ने रसद अधिकारी बीकानेर द्वारा की गई कार्यवाही पर रोक लगाई थी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त मुकदमा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा कब्जे सरकार लिये गये समस्त पेट्रोलियम पदार्थ को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय से प्राप्त शिकायत दिनांक 07.04.2025 की पालना में दिनांक 09.04.2025 को श्री तेजसिंह मेडतिया जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री विनोद परमार प्रवर्तन अधिकारी एवं सुश्री सोनल राणावत प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर जांच हेतु शिवगंज से सिरोही जाने वाले नेशनल हाईवे पर करीब तीन–चार किलोमीटर आगे बाएं तरफ दस्तक कम्पनी द्वारा स्थापित एक पम्प पर पहुंचे। मौके पर एक पम्प स्थापित पाया गया, जिस पर Dispensing Unit लगी हुई थी, जिसके दोनो तरफ Nosel लगे हुए है एवं एक भूमिगत टैंक जिसमें मौके पर उपस्थित श्री वालजी चौहान पुत्र शंकर भाई जिला बनासकांठा गुजरात हाल कर्मचारी दस्तक बायोडीजल ने बताया की भूमिगत टैंक करीब 20,000 लीटर क्षमता का स्थापित है तथा पाइपलाईन के द्वारा उसका कनेक्शन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Dispensing Unit में दिया गया है, जिससे नोजल के द्वारा वाहनों के फ्यूल टैंको में पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाता है। मौके पर Dip Rod से निरीक्षण करने पर करीब 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भूमिगत टैंक में पाया गया, जिसको मौके पर Dispensing Unit के नोजल से निकाला जाकर हाईड्रो मीटर से डेसिंटी मापी गई, जो वक्त जांच 820 की डेसिंटी प्राप्त की गयी। इस प्रकार की डेसिंटी पेट्रोलियम क्लास बी में पायी जाती है। मौके पर उपस्थित श्री वालजी चौहान से उक्त पम्प के संबंध में कागजात एवं टैंक में भण्डारित पैट्रोलियम पदार्थ के खरीद के संबंध में बिल वाउचर मांगने पर किसी भी प्रकार के बिल पेश नहीं किए जाने पर एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का 2500 लीटर से अधिक भण्डारण पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत बिना विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति अथवा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमिगत पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए एवं उसका अवैध खरीद एवं बैचान किये पाये जाने प्रार्थी की ओर से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाकर जब्त सरकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया करीबन 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, जो दस्तक कम्पनी द्वारा स्थापित एक पम्प के भूमिगत टैंक में स्थित था, सावंरिया सेठ कम्पनी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज का था तथा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त बिल में कब्जे सरकार लिए गए पेट्रोलियम पदार्थ को Drop IN Fuel बताया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा Drop IN Fuel का ही बिल इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो महालक्ष्मी इन्टरप्राईजेज मानपुर, आबूरोड जिला सिरोही द्वारा सांवरिया सेठ कम्पनी वेरारामपुरा तहसील शिवगंज को बेचान किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए उक्त पेट्रोलियम पदार्थ में एफ.एस.एल. रिपोर्ट में डीजल (IS-1460:2021) के गुण होना पाया गया है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की एफ.एस.एल. रिपोर्ट में बताए गए डीजल (IS-1460:2021) एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए बिल में अंकित Drop IN Fuel के अन्तर्गत आने वाले Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) एवं अन्य फ्यूल Paraffinic diesel fuel according to EN15940 की तुलना की गई, जिसमें उक्त सभी फ्यूलों की 15 डिग्री सेल्सियम पर Density एवं 40 डिग्री सेल्सियस पर Viscosity के साथ अन्य विवरण भी लगभग समान पाए गए। अतः उपरोक्त तुलना के आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि कब्जे सरकार लिया गया पेट्रोलियम पदार्थ डीजल (IS-1460:2021) है या अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए बिल में अंकित Drop IN Fuel के अन्तर्गत आने वाले Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) एवं अन्य फ्यूल Paraffinic diesel fuel according to EN15940 है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को संदेह का लाभ देते हुए उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को Drop IN Fuel ही माना जाना उचित प्रतीत होता है, जिसका अप्रार्थी द्वारा बिल भी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी की फर्म दस्तक पेट्रोकेम प्रा.लि. कम्पनी अधिनियम के तहत 2015 से रजिस्टर्ड है एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राजपत्र 4 जून 2018 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अन्तर्गत भारतवर्ष में जैव ईंधन के 5 श्रेणियों में से बायोडीजल एवं Drop IN Fuel के क्षेत्र में वितरण का कार्य कर रही है एवं इसी सन्दर्भ में राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में फ्रेंचाईजी के माध्यम से Drop IN Fuel के रिटेल आउटलेट भी दे रही है। दस्तक पेट्रोकेम प्रा.लि. ने भी इसी सन्दर्भ में एक फ्रेंचाईजी सिरोही जिले के

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

शिवगंज से सिरोही जाने वाले एन.एच. पर श्री बहादुर सिंह पुत्र शंकर भाई निवासी वेरारामपुरा को दी है, जिसके माध्यम से Drop IN Fuel बेचा जा रहा है। यहां यह भी गौर करने योग्य है कि जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा उक्त आउटलेट का संचालन अवैध रूप से मानने पर जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा उक्त आउटलेट को सील बन्द करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 16024/2025 दिनांक 26.08.2025 में गलत रूप से माना गया तथा जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा उक्त आउटलेट के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर रोक लगाकर आउटलेट को पुनः संचालित किए जाने के सम्बन्ध में आदेश दिए गए। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रथमदृष्टया संदिग्ध पाए गए, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रार्थी द्वारा किस प्रकार से संदिग्ध माना गया है। अतः प्रार्थी स्वयं ही यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त आउटलेट को संचालित किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही किए जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करवाई गई है, जबकि उक्त कार्यवाही के उपरान्त प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं न ही उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला ही चला है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत Cr.L.R.(Raj.) 1995 M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan का भी अवलोकन किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी उपरोक्त कब्जे सरकार लिए गए पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध एवं संदिग्ध होना साबित करने में असफल रहे है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 3297/2014 में भी बायोडीजल को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की परिभाषा में नहीं माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी उक्त आउटलेट को सील किए जाने की कार्यवाही पर प्रथम दृष्टया गलत मानकर उस पर रोक लगाई गई है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 के खण्ड 2 (क) च,ण,त.फ.ड एवं खण्ड 3 (4.5.6), खण्ड 4 का भी उल्लघंन होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये करीबन 10,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अप्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व का होने से अप्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही